# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.– 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in


पत्र संख्या- 238/2026

## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 20.06.2026

*प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 20.06.2026*
*थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़*

☐ *मिशन शक्ति 5.0 के तहत जहानागंज पुलिस की त्वरित कार्रवाई, लापता दो किशोरियां मात्र 05 घंटे के भीतर सकुशल बरामद*
☐ *सघन तलाश एवं प्रभावी पुलिसिंग से परिजनों की चिंता हुई दूर, सकुशल सुपुर्दगी पर व्यक्त किया आभार*

दिनांक 19.06.2026 को एक महिला द्वारा थाना जहानागंज पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनकी किशोरी पुत्री एवं उसकी सहेली दिनांक 19.06.2026 को समय लगभग 11:00 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं।

सूचना को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष जहानागंज श्री अतुल कुमार मिश्रा के निर्देशन में मिशन शक्ति 5.0 टीम का गठन कर तत्काल खोजबीन प्रारम्भ की गई। टीम में म0नि0 आरती यादव, उ0नि0 बीरबल यादव, महिला आरक्षी ममता यादव, का0 अनिल कुमार, का0 मुकेश शाह एवं का0 संदीप शामिल रहे। संभावित स्थानों पर सघन तलाश एवं सतत प्रयास के परिणामस्वरूप दोनों किशोरियों को मात्र 05 घंटे के भीतर समय लगभग 16:00 बजे जिगरसंडी सरैया क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया गया।

पूछताछ के दौरान किशोरियों द्वारा बताया गया कि वे बिना किसी को बताए अपनी परिचित के पास चली गई थीं, जबकि परिजनों द्वारा उनकी गुमशुदगी की सूचना थाना पर दी गई थी।

बरामदगी के उपरांत मिशन शक्ति टीम द्वारा दोनों किशोरियों की समुचित काउंसलिंग एवं पूछताछ कर उन्हें सकुशल उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। पुलिस की त्वरित एवं संवेदनशील कार्यवाही से प्रसन्न होकर परिजनों ने थाना जहानागंज पुलिस टीम के प्रति आभार व्यक्त किया।

*आजमगढ़ पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु सदैव तत्पर है।*

*प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 20.06.2026*
*थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़*

☐ *दीवानी न्यायालय परिसर से चोरी हुई मोटरसाइकिल का 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण, एक अभियुक्त गिरफ्तार व दो अपचारी किशोर पुलिस संरक्षण में*
☐ *चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अवैध तमंचा व कारतूस बरामद, अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रचलित*

थाना कोतवाली पर वादी पिन्टू गोस्वामी पुत्र शिवपूजन, निवासी ग्राम उसूरकुढवा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 19.06.2026 को वह मुकदमे की तारीख देखने हेतु दीवानी न्यायालय, आजमगढ़ आए थे तथा अपनी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस संख्या UP50 AP 2264 को जजी मैदान स्थित पार्किंग में खड़ी कर न्यायालय परिसर में चले गए। वापस लौटने पर उनकी मोटरसाइकिल वहां नहीं मिली। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 327/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कर जांच प्रारम्भ की गई।

घटना के शीघ्र अनावरण हेतु उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी चौकी प्रभारी रोडवेज, उ0नि0 अभिषेक कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी सिविल लाइन, कां0 अंशुमान सिंह, कां0 विक्की कुमार, कां0 अवधेश सिंह एवं रि0कां0 भवर सिंह की टीम गठित की गई।

पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर दिनांक 19.06.2026 को समय 23:15 बजे बंधा रोड ठंडी सड़क क्षेत्र से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त राहुल भारती पुत्र राजन भारती निवासी सिधारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा दो अपचारी किशोरों को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

अभियुक्त एवं अपचारी किशोरों के कब्जे से चोरी की गई एक अदद मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस संख्या UP50 AP 2264, एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर तथा एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया।

बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 328/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

*बरामदगी का विवरण-*
• एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस संख्या UP50 AP 2264
• एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर
• एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर
*गिरफ्तार अभियुक्त-*
राहुल भारती पुत्र राजन भारती, निवासी सिधारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़, उम्र 22 वर्ष
*पंजीकृत अभियोग-*
1. मु0अ0सं0 327/2026 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 328/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

*गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-*
उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी चौकी प्रभारी रोडवेज, उ0नि0 अभिषेक कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी सिविल लाइन, कां0 अंशुमान सिंह, कां0 विक्की कुमार, कां0 अवधेश सिंह एवं रि0कां0 भवर सिंह, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

*प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 20.06.2026*
*थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़*

☐ *फर्जी वरासत एवं धोखाधड़ी कर भूमि के अवैध बैनामे के प्रकरण में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार*
☐ *राजस्व अभिलेखों में कूटरचना कर संपत्ति हड़पने के प्रयास का आरोप, वांछित अभियुक्त को पुलिस ने दबोचा*

मा0 न्यायालय सीजेएम, आजमगढ़ से प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर वादी सफुद्दीन पुत्र हकीमुद्दीन निवासी ग्राम नन्दाव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ द्वारा आरोप लगाया गया कि मृतक नसीम अहमद की संपत्ति के उत्तराधिकार एवं वरासत संबंधी अभिलेखों में कूटरचित एवं भ्रामक तथ्य अंकित कर उनकी पत्नी नसरीन एवं उनके बच्चों के वैधानिक अधिकारों की उपेक्षा करते हुए फर्जी तरीके से वरासत दर्ज कराई गई तथा तत्पश्चात उक्त भूमि का बैनामा कर धोखाधड़ी की गई।

प्रकरण के संबंध में थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 474/2025 धारा 3(5), 61(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के दौरान अभियुक्तों की संलिप्तता प्रकाश में आने पर उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी फूलपुर के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सरायमीर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 19.06.2026 को उ0नि0 राजकुमार यादव एवं उ0नि0 प्रशान्त सिंह मय हमराह क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों की तलाश में भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अब्दुल फहद कादनपट्टी मोड़ पर कहीं जाने की फिराक में मौजूद है।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए कादनपट्टी मोड़ से अभियुक्त अब्दुल फहद पुत्र स्व0 नसीम निवासी राजापुर सिकरौर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, उम्र 32 वर्ष को दिनांक 19.06.2026 को समय 19:35 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-*

अब्दुल फहद पुत्र स्व0 नसीम, निवासी राजापुर सिकरौर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र 32 वर्ष।

*पंजीकृत अभियोग-*

मु0अ0सं0 474/2025 धारा 3(5), 61(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

*आपराधिक इतिहास*

मु0अ0सं0 188/2019, धारा 120बी/419/420/467/468/471 भादवि, थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-*

• उ0नि0 राजकुमार यादव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
• उ0नि0 प्रशान्त सिंह, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
• हे0का0 अजय पाण्डेय, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

*प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक : 20.06.2026*
*थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़*

☐ *साइबर ठगी की शिकार महिला को दिलाई गई राहत, पुलिस के प्रयास से ₹7,990 की धनराशि वापस*
☐ *QR Code के माध्यम से हुई साइबर ठगी के मामले में सिधारी साइबर टीम की त्वरित कार्रवाई सफल*

थाना सिधारी क्षेत्र की निवासी एक महिला द्वारा साइबर शिकायत दर्ज कराते हुए अवगत कराया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने स्वयं को परिचित/दोस्त बताकर QR Code भेजा तथा विश्वास में लेकर धनराशि ट्रांसफर करा ली। बाद में महिला को ज्ञात हुआ कि वह साइबर ठगी का शिकार हो गई है।

शिकायत प्राप्त होने पर थाना सिधारी की साइबर टीम द्वारा साइबर सेल आजमगढ़ के सहयोग से त्वरित तकनीकी कार्रवाई की गई। प्रभावी पैरवी एवं नियमानुसार की गई कार्यवाही के फलस्वरूप पीड़िता के खाते में ₹7,990/- की धनराशि वापस कराई गई। धनराशि वापस मिलने पर पीड़िता द्वारा आजमगढ़ पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

*साइबर सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण सलाह -*

• किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए QR Code को स्कैन न करें।
• किसी के साथ OTP, बैंक खाता विवरण, ATM/Credit Card की जानकारी साझा न करें।
• सोशल मीडिया अथवा फोन कॉल पर प्राप्त संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें।
• साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर *1930* पर शिकायत दर्ज कराएं।
• ऑनलाइन शिकायत हेतु *https://www.cybercrime.gov.in* का उपयोग करें अथवा निकटतम साइबर हेल्प डेस्क/पुलिस स्टेशन से संपर्क करें।

*कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम -*

• उ0नि0 स्मिता गुप्ता, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
• का0 महेश कुमार, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
• का0 पवन गुप्ता, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
• का0 सोनू कुमार, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

*प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 20.06.2026*
*थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़*

☐ *दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार*
☐ *पीड़िता की तहरीर पर दर्ज अभियोग में त्वरित कार्रवाई करते हुए सिधारी पुलिस ने अभियुक्त को भेजा न्यायालय*

थाना सिधारी पर वादिनी द्वारा दिनांक 15.06.2026 को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि अभियुक्त संजीव मौर्या पुत्र राजपति मौर्या द्वारा कई वर्षो से अवैध संबंध बनाकर शारीरिक शोषण किया जाता रहा। विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने तथा चाकू से हमला करने का प्रयास किया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 242/2026 धारा 64(1), 115(2), 352, 351(3), 3(5), 109 बीएनएस तथा धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर, जनपद आजमगढ़ द्वारा की जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 20.06.2026 को व0उ0नि0 यशवन्त सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त *संजीव मौर्या पुत्र राजपति मौर्या निवासी ग्राम मुण्डा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़, उम्र 34 वर्ष* को उसके घर के निकट से गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-*
संजीव मौर्या पुत्र राजपति मौर्या, निवासी ग्राम मुण्डा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़, उम्र 34 वर्ष।
*पंजीकृत अभियोग-*
मु0अ0सं0 242/2026 धारा 64(1)/115(2)/352/351(3)/3(5)/109 बीएनएस व धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-*
• व0उ0नि0 यशवन्त सिंह, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
• हे0का0 रमेश कुमार, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
• रि0का0 इरफान खान, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक : 20.06.2026
ऑपरेशन वज्रपात
थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

☐ ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति का प्रदर्शन करने वाले युवक पर पुलिस की कार्यवाही
☐ इंस्टाग्राम पर गैंगस्टर जैसी छवि प्रस्तुत कर आमजन में भय का वातावरण बनाने के प्रयास पर काउंसलिंग एवं निरोधात्मक कार्यवाही

जनपद आजमगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में संचालित ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति, असामाजिक गतिविधियों के महिमामंडन एवं आमजन में भय का वातावरण उत्पन्न करने वाले तत्वों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना अहरौला पुलिस द्वारा क्षेत्र में सतत निगरानी एवं सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान संज्ञान में आया कि एक युवक इंस्टाग्राम आईडी "its_kundan_baba_9mm" का प्रयोग कर आपत्तिजनक एवं गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों का प्रदर्शन कर रहा है तथा अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिलों के झुंड में भ्रमण कर सोशल मीडिया पर उसका प्रचार-प्रसार कर रहा है। ऐसी गतिविधियों से आमजन में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना रहती है।

थाना अहरौला पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक कुंदन चौबे पुत्र जनमेजय चौबे निवासी बस्ती भुजवल (बसही बाजार), थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को चिन्हित किया गया। उसे उसके अभिभावकों की उपस्थिति में थाना परिसर बुलाकर विस्तृत काउंसलिंग की गई तथा कानून-व्यवस्था, यातायात नियमों, सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग एवं उसके दुरुपयोग से होने वाले कानूनी परिणामों की जानकारी दी गई।

साथ ही संबंधित युवक के विरुद्ध धारा 126/135/170 बीएनएस के अंतर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की गई।
जनसुरक्षा संदेश-
आजमगढ़ पुलिस युवाओं से अपील करती है कि सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक एवं रचनात्मक उद्देश्यों के लिए करें। गैंग संस्कृति, हथियारों के प्रदर्शन, आपराधिक छवि निर्माण अथवा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को प्रोत्साहित न करें। ऐसे मामलों में कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

आजमगढ़ पुलिस द्वारा ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर सक्रिय असामाजिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा।

*प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 20.06.2026*
*ऑपरेशन वज्रपात*
*थाना पवई, जनपद आजमगढ़*

☐ *ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने वाले युवक पर पुलिस की प्रभावी कार्यवाही*
☐ *इंस्टाग्राम पर गैंग का प्रदर्शन कर वीडियो पोस्ट करने वाले युवक की काउंसलिंग, निरोधात्मक कार्यवाही कर दी गई कड़ी चेतावनी*

जनपद आजमगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में संचालित *ऑपरेशन वज्रपात* के तहत क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में बढ़ रही गैंग संस्कृति पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना पवई पुलिस द्वारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान संज्ञान में आया कि कुछ युवक इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर *"माफिया किंग (KILLER UP TM 9521__)"* एवं *"राजभर जी जयहिन्द भाई यूपी-50 आजमगढ़ 9521"* नाम से गैंग बनाकर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तथा समूह में क्षेत्र में भ्रमण कर गैंग संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी गतिविधियों से आमजन में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है।

थाना पवई पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त गैंग से जुड़े *विनय कुमार सिंह उर्फ सिप्पू सिंह पुत्र विनय सिंह निवासी अहिलासपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़, उम्र 28 वर्ष* को चिन्हित किया गया। युवक को उसके अभिभावकों की उपस्थिति में थाना परिसर बुलाकर काउंसलिंग की गई तथा कानून-व्यवस्था, यातायात नियमों एवं सोशल मीडिया के दुरुपयोग से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

उक्त कार्यवाही के दौरान संबंधित युवक के विरुद्ध *धारा 170/126/135 बीएनएसएस* के अंतर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की गई तथा भविष्य में ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई।
*जनअपील-*
पुलिस द्वारा अभिभावकों से अपील की गई कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखें तथा उन्हें कानून का पालन करने, सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक रहने एवं सकारात्मक कार्यों में सहभागिता हेतु प्रेरित करें।
*आजमगढ़ पुलिस द्वारा ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने वाले एवं आमजन में भय का वातावरण उत्पन्न करने वाले तत्वों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी है।*
*कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-*
- उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती
- आरक्षी विकास यादव
- रिक्रूट आरक्षी पुष्कर सिंह, थाना पवई, जनपद आजमगढ़

**प्रेस विज्ञप्ति**
**ऑपरेशन वज्रपात**
***थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़***
**दिनांक : 20.06.2026**

***ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर रौब गांठने वाले युवक पर पुलिस की कार्रवाई***

## ***हॉकी एवं फरसा लेकर रील बनाकर वायरल करने वाले युवक को चिन्हित कर की गई निरोधात्मक कार्यवाही, अभिभावकों की मौजूदगी में की गई काउंसलिंग***

जनपद आजमगढ़ में **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार** के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्रीमती आस्था जायसवाल के कुशल नेतृत्व में *ऑपरेशन वज्रपात* के अंतर्गत क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में बढ़ रही गैंग संस्कृति पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के दौरान सोशल मीडिया मॉनिटरिंग में संज्ञान में आया कि कुछ युवक इंस्टाग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैंग संस्कृति को बढ़ावा देते हुए वीडियो एवं रील पोस्ट कर रहे हैं, जिससे आमजन में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है।

इसी क्रम में थाना जहानागंज पुलिस द्वारा एक युवक *संदीप पुत्र राजेश निवासी कड़ासर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, उम्र 22 वर्ष* को चिन्हित किया गया, जिसके द्वारा हॉकी एवं फरसा लेकर वीडियो/रील बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई थी तथा उसके माध्यम से रौब दिखाने का प्रयास किया गया था।

प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए थाना जहानागंज पुलिस द्वारा संबंधित युवक के विरुद्ध शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत *धारा 151 बीएनएसएस* के अंतर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की गई। साथ ही युवक को उसके अभिभावकों की उपस्थिति में थाना परिसर बुलाकर विस्तृत काउंसलिंग की गई तथा कानून-व्यवस्था, यातायात नियमों एवं सोशल मीडिया के दुरुपयोग से होने वाले कानूनी दुष्परिणामों के संबंध में जानकारी दी गई।

***जनसुरक्षा संदेश-***

आजमगढ़ पुलिस अभिभावकों से अपील करती है कि वे अपने बच्चों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखें तथा उन्हें कानून का पालन करने, सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने एवं सकारात्मक गतिविधियों में सहभागिता हेतु प्रेरित करें। सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति, हथियारों का प्रदर्शन अथवा भय का वातावरण उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

***ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर सक्रिय असामाजिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी है।***

***कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-***

- उ0नि0 विनय कुमार
- रि0का0 सचिन साहू
- का0 लक्ष्मीनारायण
- रि0मा0का0 आँचल चौरसिया, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

***प्रेस विज्ञप्ति***

***परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण परियोजना***

***जनपद आजमगढ़***
***दिनांक : 20.06.2026***

***नई किरण परियोजना के तहत आयोजित परिवार परामर्श बैठक में एक परिवार को पुनः मिलाने में मिली सफलता***

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 20.06.2026 को थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ परिसर स्थित *परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण परियोजना* के अंतर्गत बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कुल 05 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को फोन एवं नोटिस के माध्यम से सूचित कर मीडिएशन हेतु बुलाया गया। मीडिएशन के दौरान सभी पत्रावलियों में पक्षकार उपस्थित हुए तथा उनकी समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना गया।

सुनवाई के उपरांत अथक प्रयास एवं प्रभावी काउंसलिंग के माध्यम से *01 प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य सफल समझौता कराया गया*, जिससे एक बिखरता हुआ परिवार पुनः एक सूत्र में बंध सका। शेष प्रकरणों में आवश्यक परामर्श प्रदान करते हुए अगली तिथि निर्धारित की गई है, जिनमें दोनों पक्षों को पुनः नोटिस एवं फोन के माध्यम से सूचित कर मीडिएशन कराया जाएगा।

*समझौता संपन्न प्रकरण -*
• ममता पुत्री हरिनारायण, निवासी ग्राम देवारा (हरख का पुरा), थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़।

*नई किरण परियोजना का उद्देश्य-*
नई किरण परियोजना बिखरे हुए परिवारों को पुनः जोड़ने, पारिवारिक विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराने तथा समाज में पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस पहल से न केवल परिवारों में नई आशा एवं विश्वास का संचार हो रहा है, बल्कि माननीय पारिवारिक न्यायालयों पर बढ़ते कार्यभार को कम करने में भी सहायता मिल रही है।

*उपस्थित टीम-*
• उ0नि0 सत्यनारायण यादव
• उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी
• आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता
• महिला आरक्षी नेहा सिंह

*कुल समझौते :- 01*

**प्रेस विज्ञप्ति**
***ऑपरेशन वज्रपात***
***थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़***
***दिनांक : 20.06.2026***

***ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित करने वाले युवक पर पुलिस की कार्यवाही***

***अवैध गैंग से संबद्धता प्रदर्शित कर सोशल मीडिया पर सक्रिय युवक को चिन्हित कर की गई निरोधात्मक कार्यवाही***

जनपद आजमगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में संचालित *ऑपरेशन वज्रपात* के अंतर्गत जनपद में शांति, सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में बढ़ रही गैंग संस्कृति एवं असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सतत निगरानी की जा रही है।

इसी क्रम में थाना देवगांव पुलिस द्वारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान एक युवक *अजय कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी कटघर लालगंज थाना देवगांव जनपद आजमगढ़, उम्र 20 वर्ष* को चिन्हित किया गया, जो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित कर रहा था तथा अवैध गैंग से संबद्धता प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा था। ऐसी गतिविधियों से आमजन में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है।

प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित युवक के विरुद्ध *धारा 170/126/135 बीएनएसएस* के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की गई। साथ ही युवक को सोशल मीडिया के विधिसम्मत एवं जिम्मेदार उपयोग के संबंध में जागरूक करते हुए किसी भी अवैध समूह अथवा गैंग से न जुड़ने तथा सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी एवं आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित न करने की सख्त हिदायत दी गई।

*जनसुरक्षा संदेश-*
आजमगढ़ पुलिस युवाओं एवं अभिभावकों से अपील करती है कि सोशल मीडिया का प्रयोग सकारात्मक एवं रचनात्मक उद्देश्यों के लिए करें। गैंग संस्कृति, आपत्तिजनक पोस्ट, हथियारों के प्रदर्शन अथवा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

*आजमगढ़ पुलिस द्वारा ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर सक्रिय असामाजिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी है।*

*कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-*
- व0उ0नि0 योगेन्द्र सिंह यादव
- का0 विपिन यादव